

धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) अधीन विकास/परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण प्रकरण हेतु चेक लिस्ट

आवेदक/श्री द्वारा आवेदित धारा 23-क (1) (ख) के अंतर्गत वर्तमान भू उपयोगकी भूमि कुल रकबा हेक्ट. केउपयोग में उपांतरण हेतु प्रकरण का विस्तृत विवरण

1	उपांतरण हेतु भूमि का विवरण:-			
क	आवेदक का नाम			
ख	जिला			
ग	तहसील			
घ	ग्राम			
ड.	नगर निगम/नगर पालिका सीमा:- अंदर/बाहर			
च	योजना क्षेत्र की जनसंख्या			
छ	परियोजना में प्रस्तावित गतिविधियां			
ज	प्रस्तावित गतिविधियों हेतु नियमानुसार आवश्यक भूमि (सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक अंतर्गत) का विस्तृत विवरण/दस्तावेज			
झ	खसरा नम्बर एवं प्रत्येक का रकबा :-			
	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	कैफियत
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	संपूर्ण क्षेत्रफल	हेक्ट	एकजाई खसरा अक्स	
2	भू-स्वामियों का विवरण :-			
क	भू-स्वामी का नाम			
ख	पूर्ण डाक पता			
ग	ई-मेल			
घ	मोबाईल नं0/दूरभाष क्रं./फैक्स नं0			
3.	वर्तमान प्रावधान/विकास योजना में भूमि उपयोग			
4	चाहा गया उपांतरण/भूमि उपयोग			

(14) (क) उस दशा में, जहाँ कि उपांतरित भू-उपयोग, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित किए गए अनुसार प्रस्तावित है वहां धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उपांतरण के लिये आवेदन विचार किए जाने के लिए केवल तभी स्वीकार किया जायेगा, जब उस भूमि का कुल क्षेत्रफल, जिसके लिए भू-उपयोग में उपांतरण चाहा गया है, नीचे कॉलम (3), (4) या (5) जैसी भी स्थिति हो, में उल्लेखित किए गए क्षेत्रफल से कम न हो -

अनु. क्रमांक	उपांतरित भू-उपयोग	निम्नलिखित जनसंख्या वाले योजना क्षेत्रों के लिए		
		5 लाख से कम क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	5 लाख से 10 लाख तक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	10 लाख तथा उससे अधिक क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आवासीय अथवा मिश्रित	2.00	4.00	6.00
2.	वाणिज्यिक	0.50	1.00	1.50
3.	औद्योगिक	5.00	7.50	10.00

(ख) उन मामलों में जहां कि उपांतरण के पश्चात् उपांतरित भू उपयोग आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक या औद्योगिक से भिन्न हो वहां धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की कोई शर्त नहीं होगी। भूमि उपयोग उपांतरण हेतु आवेदित भूमि सामान्यतः एक खण्ड में होगी।

(ग) उपरोक्त सारणी में उल्लेखित क्षेत्रफल की गणना हेतु केवल वह भूमि ली जावेगी जो कि आवेदक के स्वामित्व की हो या आवेदकों के संयुक्त स्वामित्व की हो।

नोट-किसी भी प्रकार की शंका के समाधान हेतु यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि दो या अधिक, अलग-अलग भूमियों के भूस्वामी, इस नियम अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम भूमि के क्षेत्रफल की पूर्ति की दृष्टि से संयुक्त आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

1	धारा 23-क की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न दस्तावेज/परिशिष्ट	पेज क0
क	अद्यतन खसरा पांच साला पी-2 प्रारूप (प्रमाणित)	
ख	वर्तमान भूमि स्वामी की, भूमि उपयोग बदलने के लिये सहमति (यदि आवेदक स्वामी न हो)	
ग	1 यदि परियोजना प्रस्तावक, संगठन/संकाय/संयुक्त उद्यम/सह-उद्यम जोखिम में है तो इसके के लिये आवश्यक विधिक दस्तावेज 2 भू-उपांतरण हेतु संकल्प पत्र	
2	नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी किया गया भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र	
3	भूमि का विवरण:-	
क	संपूर्ण भूमि एक चक में है:- शासकीय मेढे, शासकीय भूमि, नहर, मार्ग, या अन्य द्वारा विभाजित	
	प्रश्नगत भूमि का सर्वेक्षण क्रमांक दर्शाते हुए खसरा योजना और सभी तरफ की ओर भूमि की बाहरी सीमा से 500 मी. की भीतर आने वाले लगे हुए खसरा नंबर भी {(प्रश्नगत भूमि लाल रंग से दर्शायी (हाईलाइट) जानी चाहिए)}	

ख	1 प्रश्नगत भूमि, मुख्य पहुँचमार्ग (विद्यमान एवं प्रस्तावित), महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, जल निकाय तथा भूमि के आसपास विद्यमान उपयोग को उपरार्थित करते हुए रेखांक 2 मुख्य मार्ग किस विभाग का है, वर्तमान/प्रस्तावित चौड़ाई हेतु दस्तावेज/जानकारी 3 प्रश्नाधीन स्थल तक पहुँचमार्ग की वर्तमान/प्रस्तावित चौड़ाई हेतु दस्तावेज/जानकारी 4 मुख्य मार्ग से पहुँचमार्ग की दूरी	
ग	यदि पहुँचमार्ग आवेदक द्वारा निर्मित किया जाता है तो मुख्य मार्ग से पहुँचमार्ग हेतु आवश्यक भूमि का भूस्वामित्व/सहमति पत्र(नोटराइज रजिस्टर्ड) खसरा अक्स आदि का विवरण।	
घ	सर्वेक्षण योजना का मापमान 1:500 से 1:2000	
ड.	सर्वेक्षण योजना प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, स्वाभाविक लक्षण, जैसे:-नाला, कुण्ड, वृक्ष एवं उतार, 2 मी. के अंतराल पर कंटूर योजना, बिजली की लाईन एवं बिजली/दूरभाष के खंबों की जगह एवं ऐसे अन्य लक्षण जिनका समन्वय किया जाना आवश्यक हो दर्शाये जायें	
4	सामान्य परियोजना प्रतिवेदन:-	
क	भूमि स्वामित्व, अवस्थिति	
ख	स्थल योजना, विकास प्रस्ताव / अभिन्यास	
ग	शहरी योजना/यातायात योजना	
घ	पर्यावरण योजना	
ड	प्रस्तावित इमारतों के रेखाचित्र।	
च	अधोसंरचनात्मक योजना-जैसे	
	1 वर्तमान/प्रस्तावित जल प्रदाय हेतु संसाधन 2 जल की उपलब्धता संबंधी संक्षम संस्था से प्रमाण पत्र 3 गुणवत्ता संबंधी संक्षम संस्था से प्रमाण पत्र 4 प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक जल की गणना 5 जलप्रदाय बावत् मानचित्र	
	1 मलवहन बावत् मानचित्र 2 प्रस्तावित सेप्टिक टैंक/एसटीपी बावत् सीवरेज की गणना 3 एसटीपी की क्षमता हेतु प्राक्कलन एवं मानचित्र	
	1 विद्युतिकरण बावत् मानचित्र 2 प्रस्तावित परियोजना हेतु विद्युत व्यवस्था प्रश्नाधीन स्थल के समक्ष/निकट/दूरी पर स्थित है।	
	जल निकास बावत् मानचित्र	
	अग्निसुरक्षा हेतु संसाधन	
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग मानचित्र	
	कचरे का निपटारा हेतु क्या उपाय किये गये हैं संबंधी टीप	

छ	उपचार संयंत्र:-	जल उपचार हेतु किये गये उपाय संबंधी टीप/जानकारी	
		खराब पानी के पुनः चक्रण हेतु किये गये उपाय संबंधी टीप/जानकारी	
5	प्रस्तावित विकास का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपाय।		
6	प्रस्तावित विकास के फलस्वरूप रोजगार सृजन, लोक सुविधाओं में वृद्धि, क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता में वृद्धि तथा हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार बावत् प्रतिवेदन।		
7	परियोजना लागत का प्राक्कलन		
8	विद्यमान बाह्य अधोसंरचना:- 1 सड़क, उन्नयन की लागत 2 जलप्रदाय, उन्नयन की लागत 3 मलवहन उन्नयन की लागत (आदि के संदर्भ में, विद्यमान बाह्य अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुधार का जो कार्य आवेदक द्वारा कराया जावेगा उसे स्पष्टतः दर्शाया जावे। आवेदक को यह भी दर्शाना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तावित विकास प्रस्ताव किन मानको एवं मापदण्डों पर आधारित है उदाहरण स्वरूप मार्ग निर्माण हेतु इंडियन रोड कांग्रेस के मानक आदि)। 4 सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता की जानकारी		
9	वित्तीय प्रबंधन एवं निवेश की योजना एवं परियोजना के पूर्ण होने का समयबद्ध कार्यक्रम		
10	क्रियान्वयन के चरण		
11	भूमि स्वामी का इस आशय का शपथ -पत्र कि उसे अन्य सह भू-स्वामियों द्वारा प्रस्तावित उपांतरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इस आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त विवरण तथा दस्तावेज सत्य है।		
12	प्रश्नाधीन स्थल को दर्शाते हुए गूगल इमेज		
13	खसरा अक्स को गूगल पर सुपर इम्पोज करते हुए रंगीन मानचित्र।		
14	स्थल की लोकेशन दर्शाते हुए विकास योजना का रंगीन मानचित्र		
संबंधित आवश्यक विभागों के डाक पते			
क्र०	विभाग का नाम	डाक पता/ई-मेल/ फोन नम्बर	
1	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल		
2	ग्राम पंचायत		
3	लोक निर्माण विभाग		
4	विकास प्राधिकरण		
5	वन मण्डल,		
6	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)		
7	म.प्र. विद्युत मण्डल		
8	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय		
9	जल संसाधन विभाग		
10	राजधानी परियोजना प्रशा.		
11	ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय मार्ग		
12	नगर निगम/नगर पालिका		